! "# $ % ! $
'( )*# " + % , -./ , (0 1
$ % 2 3' 3 4
$& 5 6 (789 ' : ;
< $ & ' 0 = : : > $ & : ;
= = 3 (: ? @ A '
$ & (8) ( ) (789 *#
, ! 8 <B)C ; 8 : C =
> + $ & !
:) = $ &
: ((3 D E F C
C 4 !) :' 3 $ &
1 * : H I1 !C >8
J 1 ! K) L ; : $ < D
(MA (@ H J ! K
C1 8 * >89 = J* ! K N N *) 8 8
O 8 % ! A = (* >8 P C1 8 J ! ! K ;
H $ & (= (E
H I1 * Q: 8 O 8 , : =
: C :) $ % (
'; : $ & = (E :) I : RSS) !
2: E ! T "(, % UU

V :W

- ! " ! # $!%
- & '(!) *
-
- + , +
- $ & $

- ./ / *

आतंकवाद विरोधी सहयोग

सुरक्षित भविष्य के लिए तालीम

डिप्लोमैटिक सिक्यूरिटी सर्विसेज़ (डीएसएस) और भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियां आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए मिल-जुलकर काम कर रही हैं

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिप्लोमैटिक सिक्यूरिटी

भारतीय अधिकारी यूएसजी के अधिकारियों के साथ बंधकों को छुड़ाने की बातचीत के प्रतिरूप पर प्रशिक्षण लेते हुए

आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में नेता होने के कारण विदेश विभाग के डिप्लोमैटिक सिक्यूरिटी ब्यूरो ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने और आतंकी हमलों से बचाव के लिए विशाल अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ बनाया है। इसमें भारत अहम सहयोगी के रूप में उभरा है। विदेश विभाग का एंटी-टेररिज़्म असिस्टेंस प्रोग्राम (एटीए) आतंकवाद विरोधी प्रयासों में प्रमुख है। एटीए भारत में 1998 से सक्रिय है और 2001 से इसके काम में तेजी आई है। इस प्रयास में अमेरिका 18 करोड़ रु. (40 लाख डॉलर) खर्च कर चुका है और भारत तथा वाशिंगटन डी.सी., लुइसियाना व न्यू मेक्सिको के डीएसएस प्रशिक्षण केंद्रों में साझा प्रशिक्षण हो चुके हैं। भारत में एटीए कार्यक्रम के लिए समन्वयक अमेरिकी दूतावास में डीएसएस का प्रतिनिधि होता है, जिसे क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी के तौर पर भी जाना जाता है।

एटीए कार्यक्रम के तहत विभिन्न विषयों पर सहयोगी देशों को महत्वपूर्ण हुनर, उपकरण और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जाती है। सेमिनारों व पाठ्यक्रम के विषयों में शामिल हैं: विस्फोट जांच, बंधकों को छुड़ाने की वार्ता, गंभीर घटना प्रबंधन, आतंकवाद विरोध, आतंकवाद से निबटने के लिए कानून, विस्फोट की घटना से बचाव के कदम, बड़े स्तर पर मानवीय क्षति, अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, आर्थिक एवं कंप्यूटर अपराध जांच तथा मानव विनाश के हथियारों को नष्ट करने के कई पाठ्यक्रम। परस्पर संवाद के इन पाठ्यक्रमों में अमेरिकी और भारतीय भागीदार सूचनाओं का साझा करते हैं। कार्यक्रम की सफलता का प्रमाण यह है कि भारत सरकार इनमें से कई पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय अकादमी ढांचे व दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस्तेमाल के लिए संशोधित कर या उसी रूप में लागू करने जा रही है। आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक साथ काम कर अमेरिका-भारत देश-विदेश में अपने नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा कर रहे हैं।

आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। इसमें वह आतंकवाद भी शामिल है जो भारत के खिलाफ चल रहा है।''

इस सहयोगी रुख का सबसे ताजा और सार्वजनिक उदाहरण सितंबर 2003 में देखने को मिला, जो भारत में सर्वाधिक वांछित आतंकवादी-अपराधी दाऊद इब्राहिम से जुड़ा था। माफिया डॉन इब्राहिम, जिसके बारे में भारत सरकार का मानना है कि उसने मार्च 1993 में मुंबई में 250 से अधिक निर्दोषों की जान लेने और अनगिनत लोगों को घायल कर देने वाले खौफनाक बम विस्फोटों की साजिश रची थी, ने अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए दुबई में अपना अड्डा बना लिया है। उसके प्रत्यर्पण संबंधी सभी प्रयास विफल रहे। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस बात के पर्याप्त सुबूत जुटाए हैं, जिनसे पता चलता है कि इब्राहिम पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहा है और उसने वहां चोरी-छिपे जायदाद बना ली है। यह सूचना अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पहुंचाई गई। इसके साथ ही कुछ अंतरराष्ट्रीय आतंकी समूहों के प्रमुख वित्तीय मददगार के बतौर इब्राहिम के अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क में बड़ी भूमिका निभाने से संबंधित सबूत भी उन्हें दिए गए।

अमेरिका की प्रतिक्रिया निर्णायक रही। सितंबर 2003 में अमेरिका के वित्त मंत्री जॉन स्नो पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत के लिए इस्लामाबाद गए। बातचीत का मुख्य एजेंडा दाऊद इब्राहिम था। स्नो की यात्रा के एक महीने बाद वित्त मंत्रालय ने इब्राहिम को ''अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी'' घोषित कर दिया, जिस पर भारत की सरजमीं पर अनगिनत आतंकवादी हमले करने के लिए जिम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा समेत प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक सहायता देने का शक था। इस पहल के परिणामस्वरूप अमेरिका में दाऊद की संपत्ति जब्त कर ली गई।

नई दिल्ली के लिए यह दाऊद इब्राहिम को कानून के दायरे में लाने और उसके वैश्विक अभियान सीमित करने के लिए दस साल से चलाई जा रही मुहिम में महत्वपूर्ण कामयाबी थी। इससे भी महत्वपूर्ण यह कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक जंग और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका के संबंधों में यह निर्णायक क्षण था। हालांकि कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में अमेरिका-भारत सहयोग 1972 से चल रहा है, जब यू.एस. एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) ने नई दिल्ली में अपना कार्यालय स्थापित किया था, लेकिन आतंकवादी खतरे और गतिविधियों से निबटने के संयुक्त प्रयासों में 9/11 की दुखद घटनाओं के बाद और अधिक तेजी आई। इससे पहले सहयोग, चिंता के एक प्रमुख क्षेत्र—नशीले पदार्थों की तस्करी एवं नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से लड़ने पर ही केंद्रित था।

रॉयटर/एसटीआर

भारत के पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी अमेरिका में एफबीआई के निदेशक रॉबर्ट मुलर के साथ

2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वाशिंगटन डी.सी. में पेंटागन और पेनसिल्वेनिया पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद द्विपक्षीय सहयोग तेजी से बढ़ा। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में हासिल अहम सूचनाएं और विशेषज्ञता उपलब्ध कराकर सहयोग किया। अमेरिका ने अपने वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ तकनीकी जानकारी भारत के साथ बांटी। नई दिल्ली और वाशिंगटन कानून प्रवर्तन के विभिन्न मसलों पर एकदम करीब आ गए।

इस नए संबंध के लाभ नाटकीय परिस्थितियों में और भी उभरकर आए। जनवरी 2002 में मोटरसाइकिल पर सवार आतंकवादियों ने कोलकाता के अमेरिकी सेंटर पर अंधाधुंध गोलियां दागीं, जिससे चार सुरक्षाकर्मी मारे गए जबकि चौदह अन्य घायल हो गए। हमला उस दिन हुआ जब एफबीआई के निदेशक रॉबर्ट मुलर भारत में ही थे। मुलर की मौजूदगी के कारण उसी शाम एफबीआई अधिकारियों और कोलकाता पुलिस के बीच बातचीत हुई। जांच से पता चला कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रहने वाला अंडरवर्ल्ड सरगना आफताब अंसारी ही इस हमले के पीछे था। सबूत से लैस अमेरिका ने अंसारी की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिए सीधे संयुक्त अरब अमीरात सरकार से बात की। मुलर स्वयं यूएई गए और इसके शीघ्र बाद एफबीआई ने भारत को अंसारी के प्रत्यर्पण की व्यवस्था कराई।

सबसे नाटकीय घटना थी—13 दिसंबर 2001 को भारतीय लोकतंत्र के हृदय-स्थल संसद भवन पर आतंकवादी हमला। इसके कुछ घंटों के भीतर ही भारत में अमेरिका के तत्कालीन राजदूत रॉबर्ट ब्लैकविल ने तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को सूचित किया कि एफबीआई हमले से जुड़े आतंकियों को ढूंढ़ने और उनकी पहचान करने में पूरी सहायता देगी। भारतीय पुलिस और खुफिया सेवाओं से तालमेल करते हुए एफबीआई ने हमले से पहले आतंकियों द्वारा किए गए संदेशों के आदान-प्रदान का विश्लेषण करने में मदद की जिसके बाद कई गिरफ्तारियां की गईं।

भारत और अमेरिका के बीच कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में सहयोग सिर्फ भारत की सीमाओं में घटित होने वाली घटनाओं तक ही सीमित नहीं है। भारत में फिरौती, अपहरण, संगठित अपराध और 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के लिए वांछित आरोपी अबू सलेम अंसारी को सितंबर 2002 में पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया। एक बार फिर एफबीआई

वोंग का मामला

अंतरराष्ट्रीय अभियान से हेरोइन माफिया फंसा फंदे में

जब मई 2003 में अमेरिकी और चीनी अधिकारियों ने हेरोइन माफिया किन चेयुंग वोंग और उसके नेटवर्क के सदस्यों को गिरफ्तार किया, तब इस बात के संकेत न के बराबर थे कि इसके तार भारत से भी जुड़े होंगे। लेकिन 17 मई 2003 को डीईए की खुफिया सूचना के आधार पर एनसीबी ने कोलकाता के एक मकान पर छापा मारकर बर्मा के पांच नागरिकों को गिरफ्तार किया। वहां एंफेटामाइन बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन भी बड़ी मात्रा में मिला। वोंग के गिरोह के सदस्य भारत में अवैध उत्पादन इकाई लगाने की योजना पर काम कर रहे थे।

वोंग की गिरफ्तारी को अमेरिका, चीन और भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों का महत्वाकांक्षी साझा प्रयास माना जाता है। फोर आईज़, कटलफिश व लेज़ी मैन जैसे कूट नाम वाले इन अपराधियों को पकड़ने के लिए एजेंटों को कई क्षेत्रों और विभिन्न भाषाओं के लोगों से जूझना पड़ा।

सजल मुखर्जी/टाइम्स ऑफ इंडिया

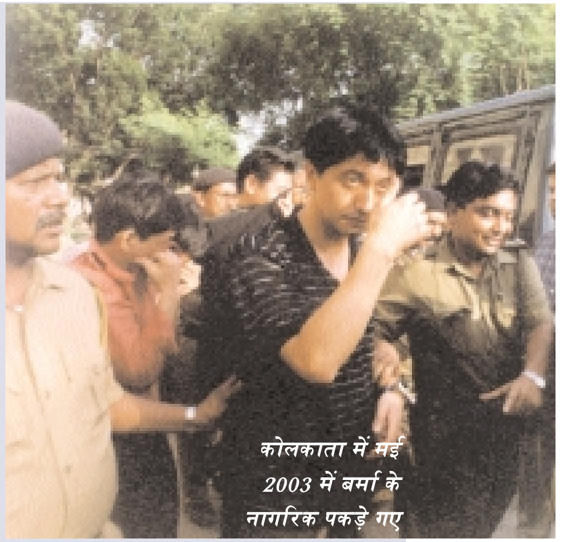

कोलकाता में मई 2003 में बर्मा के नागरिक पकड़े गए

की मदद से उसे पकड़ा गया। और डीएचएस/आईसीई ने अंसारी द्वारा अमेरिका में कथित तौर पर किए गए मनी लॉन्डरिंग उल्लंघनों पर सीबीआई में अपने समकक्ष एजेंसियों के साथ करीबी सहयोग किया। एक अन्य महत्वपूर्ण मामला कोलकाता के बड़े जूता व्यापारी पार्थो रॉय बर्मन का था, जिनका अंसारी के लोगों ने जुलाई 2001 में अपहरण कर लिया था। बर्मन को मुक्त करने के लिए उनके परिजनों ने 45 लाख रु. (1,00,000 डॉलर) की फिरौती अदा की थी। एफबीआई ने भारतीय जांचकर्ताओं को तकनीकी सहयोग मुहैया कराया और जांच से एक चौंका देने वाला नतीजा यह निकला कि अंसारी ने इस राशि में से कुछ रकम भारत के बाहर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को भेजी थी, और इसमें से कुछ धन 9/11 के आतंकवादी हमलों को अंजाम देने वालों के हाथ भी लगा था।

हाल के वर्षों में मानव तस्करी भी अमेरिका-भारत सहयोग का एक अहम क्षेत्र बन गई है। भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट ब्लैकविल ने मुंबई में फरवरी 2003 समेत कई मौकों पर दुनिया भर में मानव तस्करी में आए अप्रत्याशित उछाल की ओर ध्यान दिलाया था। उन्होंने यह भी बताया कि इस समस्या से मुकाबला अमेरिका की प्राथमिकता में है। आज इस समस्या से निबटने के तरीके ढूंढ़ने के लिए अमेरिका भारत में स्वयंसेवी संगठनों तथा भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम रहा है।

हर साल 50,000 महिलाओं और बच्चों को तस्करी के जरिए अमेरिका पहुंचाया जाता है। यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। नया अमेरिकी कानून विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट तस्करी के शिकार लोगों को कानूनी आप्रवासी का दर्जा देने हेतु अभियोजकों को नया उपाय मुहैया कराता है। इसके साथ ही इसके तहत सजा की अवधि भी 10 से 20 साल कर दी गई है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई ''मानव तस्करी तथा महिलाओं और बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण से निबटने की कार्य-योजना'' इस मुद्दे पर केंद्रित काम करने का एजेंडा और ढांचा मुहैया कराती है।

अमेरिकी विदेश विभाग की जून 2003 की रिपोर्ट के अनुसार भारत तस्करी से लाए जाने वाले हजारों लोगों का मुख्य मार्ग और गंतव्य बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, ''महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का शोषण, जबरिया घरेलू काम, बंधुआ मजदूरी और करार से थोपे गए कामों के लिए अंदरूनी तस्करी व्यापक पैमाने पर की जाती है।'' इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि सेक्स में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए भारत मुख्य ठिकाना है। रिपोर्ट में बांग्लादेशी महिलाओं व बच्चों की तस्करी के लिए भारत के प्रमुख मार्ग के रूप में उभरने को चिंता का विषय बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्हें तस्करी से भारत लाया जाता है या यहां से पाकिस्तान और मध्य-पूर्व के देशों में यौन शोषण और जबरन मजदूरी के लिए भेजा जाता है। वेश्यावृत्ति के लिए भारत लाई जाने वाली नेपाली महिलाओं और लड़कियों के मामले का भी इसमें जिक्र किया गया।

अमेरिकी विदेश मंत्री कोलिन पॉवेल द्वारा पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार सीमित संसाधन होते हुए भी इस समस्या से प्रभावी ढंग से निबट रही है। रिपोर्ट में कुछ भारतीय स्वयंसेवी संगठनों द्वारा क्षेत्र में तस्करी और उसके शिकार लोगों को बचाने के लिए किए जा रहे उम्दा कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कर्नाटक सरकार की 'स्त्री शक्ति' योजना का इस मामले में खास तौर पर सफल कार्यक्रमों में उल्लेख है। रिपोर्ट में राज्य सरकार के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लक्ष्य की सराहना की गई है, ताकि ये महिलाएं आमदनी वाली गतिविधियों के जरिए आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकें।

विदेश मंत्रालय का ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एन्फोर्समेंट अफेयर्स (आईएनएल) देश भर में मानव तस्करी विरोधी एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य मानव तस्करी को रोकने, मामलों की जांच और गिरफ्तारी, मुकदमे चलाने तथा तस्करों और मानव तस्करी से जुड़े अन्य अपराधियों को सजा दिलाने में भारतीय क्षमता को मजबूत करना है। भारतीय एनजीओ और राज्य सरकारें तस्करी के शिकार लोगों के

मादक पदार्थ निरोधी प्रवर्तन

तस्करों के पीछे

ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) के सक्रिय सहयोग से मादक पदार्थों के कारोबार से निबटने के भारत के प्रयासों में तेजी आई है

ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) और भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग चरम पर है। जमीनी स्तर पर सफलता नजर भी आती है। इसका मुख्य उदाहरण अप्रैल 2003 में नशीले पदार्थों के सरगना निरंजन शाह की मुंबई में हुई गिरफ्तारी है। शाह को पांच सौ किलोग्राम हशीश की खेप अमेरिका में भेजने के लिए धरा गया। विदेश विभाग का ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एन्फोर्समेंट अफेयर्स डीईए और यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्यूरिटी, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) के सहयोग से मादक पदार्थों से

अशेष शाह

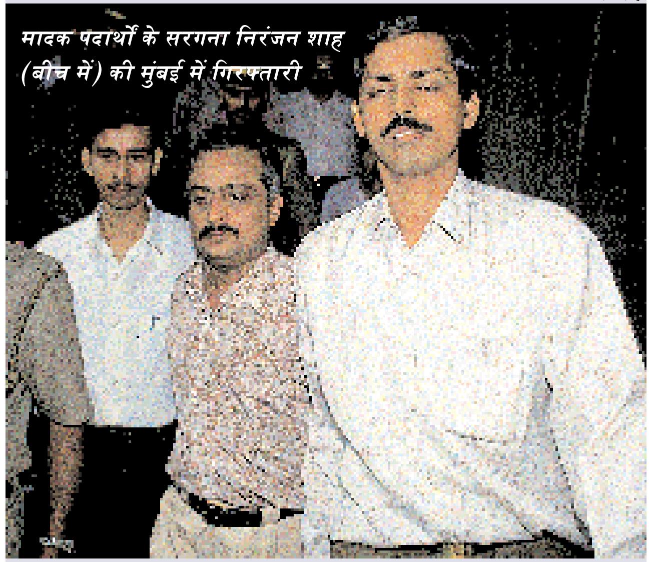

मादक पदार्थों के सरगना निरंजन शाह (बीच में) की मुंबई में गिरफ्तारी

संबंधित छह मुख्य कानून प्रवर्तन योजनाओं को आर्थिक सहायता मुहैया करा रहा है। इनमें मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन, खुफिया ढांचा विस्तार, ड्रग परीक्षण प्रयोगशाला प्रशिक्षण, तकनीकी उपकरण व क्षमता का आधुनिकीकरण शामिल है।

सभी परियोजनाओं का उद्देश्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो जैसी भारतीय एजेंसियों की प्रवर्तन क्षमताओं में सुधार करना है। इन परियोजनाओं के तहत भारतीय एजेंसियों को वाहन, कंप्यूटर, रेडियो, ऑडियोविजुअल उपकरण, कैमरा, ड्रग परीक्षण किट, केमिकल लैबोरेटरी उपकरण, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और नाइट विजन उपकरण मिलेंगे। चार देशों से लगी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए कई मौके उपलब्ध कराती है। इससे निबटने के लिए भारत अन्य सामग्री के साथ लाइटवेट स्कैनर और बुलेटप्रूफ जैकेटें भी प्राप्त करेगा। यह मदद डीईए द्वारा अपने भारतीय समकक्षों के साथ किए जा रहे सहयोग के नए संबंधों की प्रतीक है।

पुनर्वास का काम भी कर रही हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात सरीखे राज्यों में इस तरह का एक कदम तस्करों के खास निशाने पर रहने वाले गरीब तबके के और कमजोर लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना है। गरीब महिलाओं व बच्चों के जीवन स्तर में सुधार करने से उनके तस्करों का शिकार बनने की आशंका घट जाती है। सीमावर्ती चौकियों, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन समेत आवाजाही के ठिकानों पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि तस्करों से पीड़ितों को मुक्त कराया जा सके, जो कि इन्हें साथ ले जाते हैं। तस्करों, उनकी मदद करने तथा उन्हें शरण देने वालों से निबटने के लिए कानूनों को और सख्त बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

मानव तस्करी के खिलाफ अमेरिकी-भारत सहयोग की एक मिसाल लकी रेड्डी बाली रेड्डी की गिरफ्तारी है। सान फ्रांसिस्को का यह रेस्तरां मालिक मानव तस्करी का कमाऊ धंधा अरसे से चला रहा था। रेड्डी ने वीजा लेने के लिए जाली कागजात मुहैया कराए तथा भारतीय गांवों की गरीब युवतियों को बेहतर भविष्य के सब्जबाग दिखाकर अमेरिका बुलाया। अमेरिका पहुंचने के बाद रेड्डी के आदमी इन लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाते और व्यावसायिक रूप से उनका शोषण करते थे। सन् 2001 के शुरू में, एफबीआई, यू.एस. इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइज़ेशन सर्विसेज़ (आईएनएस) और सीबीआई ने इस रैकेट की संयुक्त रूप से जांच शुरू की। मुख्य गवाह भारत से अमेरिका भेजे गए। मार्च 2001 में दो आरोपियों को दोषी ठहराया गया और उसी वर्ष जून में रेड्डी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।

बाकी मामलों में जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और बच्चों की पोर्नोग्राफी एवं मानव तस्करी के मामलों में लिप्त लोगों को पकड़ने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन समस्या बरकरार है और मानव समाज के एक बड़े तबके के लिए खतरा अब भी बना हुआ है। जैसा कि विदेश मंत्री पॉवेल ने क्षुब्ध होकर कहा, ''यह बात गले नहीं उतरती कि इक्कीसवीं शताब्दी में भी मानव तस्करी हो रही है। लेकिन यह सच है, एक कड़वा सच।''

शिप्रा दास/इंडिया टुडे

यूएई से प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली पहुंचने पर अंसारी

विस्तृत परिप्रेक्ष्य में डीईए, एफबीआई, डीएसएस, डीएचएच/आईसीई और आईएनएल सरीखी विभिन्न एजेंसियां अमेरिकी-भारत कानून प्रवर्तन सहयोग में अहम भूमिका निभा रही हैं। हालांकि, इसके लिए नीति निर्धारण का काम जनवरी 2001 में स्थापित की गई एजेंसी काउंटरटेररिज़्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप (सीटीजेडब्लूजी) के स्तर पर किया जाता है। सीटीजेडब्लूजी को आतंकवाद और आपराधिक घटनाओं से निबटने में अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अमेरिका और भारत परस्पर कानूनी सहयोग संधि पर काम कर रहे हैं। खुफिया और जांच संबंधी सहयोग मजबूत करने के लिए अमेरिका अपने विदेश विभाग के ब्यूरो ऑफ डिप्लोमेटिक सिक्यूरिटी के एटीए प्रोग्राम के तहत भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों की क्षमता में इजाफा करने के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित तौर पर प्रायोजित करता है। सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी में विशेष महारत हासिल होने के कारण अमेरिका साइबर आतंकवाद द्वारा खड़ी की गईं चुनौतियों से निबटने और सूचनाओं की सुरक्षा में इज़ाफा करने के मकसद से बनाए गए साइबर सिक्यूरिटी फोरम के गठन में मददगार रहा है। सीटीजेडब्लूजी ने आतंकवादियों के वित्त-पोषण के नेटवर्क, फोरेंसिक विज्ञान, परिवहन सुरक्षा और सीमा नियंत्रण जैसे विषय लेते हुए होमलैंड (स्वदेश) एवं आंतरिक सुरक्षा पर संवाद की भी पहल की, जिसके फलस्वरूप संदिग्ध आतंकियों की गतिविधियों का पता लगाने की प्रशासन की क्षमता में वृद्धि हुई। इस संवाद के समर्थन में डीएचएस/आईसीई, डीएचएस/सीबीपी और भारतीय सीमा शुल्क विभाग, सीमा शुल्क और सीमा से जुड़े विभिन्न मसलों पर अपने सहयोग को औपचारिक रूप देते हुए सीमा शुल्क संबंधी परस्पर सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर करेंगे।

अमेरिका और भारत के एजेंडे में आतंकवाद और मानव तस्करी जबकि सबसे ऊपर हैं, 1972 से भारत में डीईए की उपस्थिति से पड़ी मजबूत नींव से नशीले पदार्थों की तस्करी से निबटने के संयुक्त प्रयासों की अहमियत भी प्रकट होती है। इन वर्षों में डीईए के अपने भारतीय जोड़ीदार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के साथ संबंध सुदृढ़ हुए हैं। विदेश विभाग के ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एन्फोर्समेंट अफेयर्स द्वारा अफीम की अवैध पैदावार और उसकी प्रोसेसिंग तथा उसके लिए रसायनों के आयात-निर्यात पर नियंत्रण रखने वाले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन) और भारतीय सीमा शुल्क विभाग के मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रमों को पिछले तीन साल से जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराना, दोनों संगठनों के बीच व्यापक सहयोग को रेखांकित करता है। पिछले चार साल से वित्त मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता-पत्र के तारतम्य में भारत को 100 वाहन, संचार उपकरण और कंप्यूटर मिले। एनसीबी, सीबीएन और भारतीय सीमा शुल्क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़ी योजनाओं के लिए सितंबर 2003 में संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर कर 9.82 करोड़ रुपए (21.8 लाख डॉलर) मुहैया कराए गए। परियोजनाओं में एनसीबी की खुफिया सूचना एकत्र करने की क्षमता में सुधार, तीनों एजेंसियों के प्रशिक्षण, भारत सरकार की मादक पदार्थ प्रयोगशालाओं की परीक्षण सुविधाओं को उन्नत बनाना, सीमा शुल्क से जुड़े मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान व नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ जांच, अभियोजन और उन्हें सजा दिलाने में मदद देने के लिए भारत सरकार की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराना शामिल है।

आतंकवादियों के हमलों से लेकर मानव तस्करी, मादक पदार्थों के कारोबार से साइबर फोरेंसिक—अमेरिकी और भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आतंकवादियों और अपराधियों के नए और गंभीर खतरे से निबटने के लिए अधिक निकटता से काम करने की अहमियत को पहले के मुकाबले कहीं अधिक समझ लिया है।

एफबीआई-सीबीआई सहयोग

एक और एक ग्यारह

9/11 के बाद आतंकवाद से निबटने संबंधी अमेरिका-भारत सहयोग ने नया आयाम प्राप्त कर लिया है। अंसारी का प्रत्यर्पण इसी सफलता की एक अहम मिसाल है।

जहां एफबीआई अपने भारतीय जोड़ीदारों के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों, अंतरराष्ट्रीय अपराध, मनी लॉन्डड्रिंग और सीमा शुल्क उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच में वर्षों से सहयोग कर रही है, वहीं 9/11 सितंबर के बाद इन द्विपक्षीय संबंधों ने नया आयाम प्राप्त कर लिया है। इससे अमेरिकी-भारत सहयोग की कामयाबी की सबसे बड़ी कहानियों में से एक की राह खुली—फरवरी 2002 में अंडरवर्ल्ड सरगना आफताब अंसारी का यूएई से भारत को प्रत्यर्पण हुआ। अंसारी ही वह शख्स था जिसने दुबई में बैठकर कोलकाता के अमेरिकी सेंटर पर हमले की साजिश रची थी।

एफबीआई नेपथ्य में रहकर सीबीआई के साथ साइबर अपराध से निबटने के लिए काम कर रही है। साइबर अपराधों की रोकथाम और जांच के एफबीआई के विशेषज्ञ सीबीआई अधिकारियों के लिए नियमित कार्यशालाओं की अगुआई करते हैं। यह सहयोग संकट के समय में काम आया है। 1999 को क्रिसमस की संध्या पर जब एअरलाइंस की उड़ान आईसी-814 का अपहरण कर लिया गया तब एफबीआई भी जांच से जुड़ गई क्योंकि अमेरिकी नागरिक ज्यां मेरी मूर उस उड़ान में थीं। भारत में एफबीआई का दफ्तर न सिर्फ अपहरण और उसे अंजाम देने वालों का पता लगाने में भारत की मदद कर रहा था, बल्कि खुद भी जांच कर रहा था। टीमवर्क की यह प्रक्रिया अब भी जारी है और दोनों देश इस तथ्य से अवगत हैं कि सिर्फ सहयोग से ही दुनिया को सुरक्षित बनाया जा सकता है।

यशवंत नेगी/इंडिया टुडे

एफबीआई के एजेंट भारतीय पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हुए